# शारदा राजपत्र

## शारदा नगरपालिकाद्वारा प्रकाशित

खण्ड ९　　　संख्या २　　　मिति २०८२।०३।१२

### भाग १

शारदा नगरपालिकाले बनाएको तल लेखिए बमोजिमको ऐन सर्वसाधारणका लागि प्रकाशन गरिएको छ ।

**शारदा नगरपालिका, सल्यानको आर्थिक बर्ष २०८२/८३ को सेवा र कार्यहरुको लागि स्थानीय सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विनियोजन ऐन, २०८२**

# शारदा नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०८२

सभाबाट स्वीकृत मितिः २०८२/०३/०५

प्रमाणीकरण मितिः २०८२/०३/१२

**प्रस्तावना** : शारदा गरपालिका, सल्यानको आर्थिक बर्ष २०८२/८३ को सेवा र कार्यहरुको लागि सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने अधिकार दिन र सो रकम विनियोजन गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

नेपालको संविधानको धारा २२९ को उप-धारा (२) बमोजिम नगर सभाले यो ऐन बनाएको छ।

**१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ** : (१) यस ऐनको नाम "शारदा गरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०८२" रहेको छ।

(२) यो ऐन संवत् २०८२ साल साउन १ गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछ।

**२. आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को निमित्त सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्ने अधिकार** : ( १ ) आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को निमित्त नगर कार्यपालिका, वडा समिति, विषयगत शाखाले गर्ने सेवा र कार्यहरुका निमित्त अनुसूची-१ मा उल्लेखित शीर्षकहरुका आय तथा चालू खर्च, पूँजीगत खर्च, सामाजिक सुरक्षा खर्च र वित्तीय व्यवस्थाको रकम समेत गरी जम्मा रकम १,२२,५२,००,५०२।०४ (अक्षेरुपी एक अर्ब बाइस करोड बाउन्न लाख पाँच सय दुई पैसा चार मात्र) मा नबढाई निर्दिष्ट गरिए बमोजिम सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न सकिनेछ।

**३. विनियोजन :** (१) यस ऐनद्वारा सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न अधिकार दिइएको रकम आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को निमित्त शारदा नगरपालिका , सल्यानको नगर कार्यपालिका, वडा समिति, विषयगत शाखा र खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजनाले गर्ने सेवा र कार्यहरुको निमित्त विनियोजन गरिनेछ।

**४. अख्तियारी तथा कार्यक्रम स्वीकृति सम्बन्धी व्यवस्थाः** (१) प्रचलित कानून बमोजिम अख्तियारी प्राप्त भएको दिनदेखि अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई विनियोजन ऐनमा भएको रकम प्रचलित कानूनको अधिनमा रही खर्च गर्ने अधिकार हुनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम खर्च गर्ने अख्तियारीको आधारमा नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले निकासा भुक्तानी पाउनुपर्ने निकासा भुक्तानी प्राप्तकर्तालाई विनियोजन भएको रकम निकासा तथा भुक्तानी दिनेछ।

(३) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र) मा समावेश (प्रविष्टि) भएको कार्यक्रमलाई बजेट कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको लागि स्वीकृत कार्यक्रम मानिनेछ।

**५. रकमान्तर तथा स्रोत व्यवस्थापन :** (१) दफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यपालिका, वडा समिति, विषयगत शाखा र खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजनाले गर्ने सेवा र कार्यहरुको निमित्त विनियोजन गरेको रकममध्ये कुनैमा बचत हुने र कुनैमा अपुग हुने देखिन आएमा नगर कार्यपालिकाले बचत हुने शीर्षकबाट नपुग हुने शीर्षकमा रकमान्तर गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम रकमान्तर गर्दा एक शीर्षकबाट सो शीर्षकको जम्मा रकमको २५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी शीर्षकहरुबाट अर्को एक वा एक भन्दा बढी शीर्षकहरुमा रकमान्तर गर्न, निकासा र खर्च जनाउन तथा चालु, पूँजिगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थाको खर्च व्यहोर्न एक स्रोतबाट अर्को स्रोतमा रकमान्तर गर्न सकिनेछ।
तर पूँजिगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजित रकम साँवा भुक्तानी खर्च र व्याज भुक्तानी खर्च शीर्षकमा बाहेक अन्य चालू खर्च शीर्षकतर्फ सार्न र बित्तीय व्यवस्था अन्तर्गत साँवा भुक्तानी खर्चतर्फ बिनियोजित रकम ब्याज भुक्तानी खर्च शीर्षकमा बाहेक अन्यत्र रकमान्तर गर्न सकिने छैन।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक शीर्षकबाट सो शीर्षकको जम्मा स्वीकृत रकमको २५ प्रतिशत भन्दा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी शीर्षकहरुमा रकमान्तर गर्न नगर सभाको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।
(४) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सुरु विनियोजन नभएको खर्च संकेतमा तथा नयाँ योजना तथा कार्यक्रममा आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासिक अवधिमा र असार महिनामा रकमान्तर गर्न पाईने छैन।
**६. वित्तीय अनुशासन सम्बन्धी ब्यवस्था :** (१) नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त वित् हस्तान्तरण बापतको रकम, राजश्व बाँडफाँडको रकम तथा आन्तरिक राजश्वको रकम नगरपालिकाको सञ्चित कोषमा दाखिला गरी खर्च गर्नुपर्नेछ।
(२) बजेट तथा खर्च लेखाङ्कन, आन्तरिक राजश्व संकलन, कार्य संचालन कोष तथा अन्य कोष, सम्पत्ति तथा दायित्व र धरौटीको लेखा राख्दा र प्रतिवेदन गर्दा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट तोकिएका तथा संचालनमा आएका विद्युतीय प्रणालीहरु लागू गर्नुपर्नेछ।
(३) स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएको बाहेक थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा निर्णय गर्दा नगर कार्यपालिकाको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।
(४) नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट नगरपालिकालाई प्राप्त सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको रकम आर्थिक बर्षभित्र खर्च नभई बचत भएमा नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले तोकिएको अवधीभित्र संघीय सञ्चित कोष तथा प्रदेश सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।
**७. योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी विशेष व्यवस्था**ः (१) नेपाल सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण हुने सशर्त अनुदान अन्तरगतको वैदेशिक स्रोत समावेश भएको कुनै आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा स्रोत फुकुवा भई निकासा भएपछि मात्र आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा संचालन गर्नुपर्नेछ।
(२) पूँजीगत खर्चको सार्वजनिक निर्माणतर्फ वार्षिक स्वीकृत आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेट सामान्यतया २०८३ बैशाख मसान्तसम्म खर्च वा सम्झौता वा खरिद प्रक्रिया आरम्भ गरिसक्नुपर्नेछ।
(३) वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमको कार्यान्वयन नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरण र राजश्व बाँडफाँट बापत प्राप्त हुने राजश्व साथै आन्तरिक राजश्व संकलन भएको अनुपातको आधारमा हुनेछ। लक्ष्य अनुरुप वित्तीय हस्तान्तरण, राजश्व बाँडफाँड र आन्तरिक राजश्व संकलन तथा आम्दानी हुन नसकेमा नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले

स्वीकृत कार्यक्रम तथा योजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया रोक्का राख्ने वा प्राथमिकता निर्धारण गरी संचालन कार्यान्वयन गर्न सक्नेछ ।

(४) वार्षिक स्वीकृत बजेट भित्रका योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्यान्वयन गर्न लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट अनिवार्य स्वीकृती लिनुपर्नेछ । स्वीकृती नलिई संचालन तथा कार्यान्वयन भएका योजना तथा कार्यक्रमको भुक्तानी नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले रोक्का गर्न सक्नेछ।

(५) नगर कार्यपालिकाको कार्यालयबाट बोलपत्र वा सिलबन्दी दरभाउपत्र मार्फत संचालन तथा कार्यान्वयन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमहरुमा घटी कबोल भए बापत बचत हुन जाने रकमबाट थप आयोजना तथा कार्यक्रम संचालन तथा कार्यान्वयन गर्न सकिने छैन ।

तर शिलबन्दि दरभाउपत्र वा बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद भएको औषधि तथा औषधिजन्य सामाग्रीहरुको आवश्यकता एकिन गरि बचत रकमबाट औषधि तथा औषधिजन्यसमाग्रीहरु खरिद गर्न सकिनेछ ।

(७) वार्षिक स्वीकृत आयोजना तथा कार्यक्रम सम्झौता बमोजिम संचालन कार्यान्वयन सम्पन्न भए पश्चात् कार्यसम्पन्न भएको मितिले ३५ दिन भित्र भुक्तानीको लागि सम्पूर्ण प्रक्रिया र रीत पूरा गरी आवश्यक पर्ने कागजात सहित नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भई आवश्यक कागजात सहित रीतपूर्वक कार्यालयमा पेश भएका भुक्तानीको बजेट र स्रोत सुनिश्चित गरी भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

(८) उपभोक्ता समिति र लाभग्राही समूहबाट संचालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रम संचालन एवं कार्यान्वयन गर्दा उपभोक्ता समिति तथा लाभग्राही समूहले सम्झौता भएको मितिले १५ दिन भित्र कार्य प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ नगरेको खण्डमा नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले सम्झौता रद्द गर्न सक्नेछ।

(९) उपभोक्ता समिति र लाभग्राही समूहबाट संचालन तथा कार्यान्वयन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमको सम्झौताको म्याद थप हुने छैन।

(१०) प्रचलित कानूनले तोकेको अधिकारी वा निजले तोकेको जिम्मेवार व्यक्ति वाहेक कुनै पनि पदाधिकारी, कर्मचारी, व्यक्ति तथा संस्थाले नगर कार्यपालिकाको कार्यालयलाई आर्थिक व्ययभार पर्ने दायित्व सिर्जना गर्न पाउने छैन । यसरी सिर्जना भएको दायित्व लेखा उत्तरदायि अधिकृतले मनासिव ठानेमा बाहेक भुक्तानी हुन सक्ने छैन ।

(११) आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक कारोवारको प्रचलित कानून बमोजिम खाताबन्दी गर्ने र हिसाब मिलान गर्ने व्यवस्था नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले मिलाउनु पर्नेछ । चालु आर्थिक वर्षमा स्वीकृत बजेट, आयोजना तथा कार्यक्रमको भुक्तानी प्राप्तकर्ताले नियमानुसारको भुक्तानी पाउनको लागि चालु प्रकृतिका कार्यक्रमहरुको हकमा २०८३ जेष्ठ १५ तथा पुँजीगत प्रकृतिका योजनाहरुको हकमा २०८३ जेठ मसान्त भित्रै भुक्तानी प्रक्रियाका सम्पूर्ण रीत पूरा गरी कागजात सहित नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा पेश गरिसक्नु पर्नेछ।

(१२) सामाजिक विकास क्षेत्रको शिक्षा उपक्षेत्र अन्तरगतका संघीय तथा प्रदेश सरकारकारबाट प्राप्त भएका आयोजना तथा कार्यक्रममा विनियोजित रकमबाट स्वीकृत संघिय तथा प्रदेश निर्देशिका बमोजिम विद्यालय तथा अन्य शैक्षिक संस्थाहरुलाई सोझै भुक्तानी निकासा दिन बाधा पर्ने छैन।

(१३) उपदफा (१२) बमोजिम निकासा गरिएको रकम नियमानुसार खर्च गर्ने, प्रतिवेदन गर्ने, लेखापरीक्षण गराउने तथा श्रेस्ता सुरक्षित राखे जिम्मेवारी भुक्तानी निकासा पाउने संस्थाको हुनेछ। भुक्तानी निकासा भएको रकमको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यता कायम हुनेगरी खर्च गर्ने जिम्मेवारी भुक्तानी निकासा प्राप्त गर्ने संस्थाको हुनेछ।

(१४) कुनै पनि महाशाखा/शाखा, वडा कार्यालय तथा संस्थाबाट आयोजना तथा कार्यक्रमको भुक्तानी सिफारिस गर्दा खर्चको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यता पुष्टि हुने तथा मूल्य, गुणस्तर र परिमाण फरक नपर्ने सुनिश्चित गरी भुक्तानी मनासिब रहेको स्पष्ट खुलाई सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित महाशाखा/शाखा, वडा कार्यालय तथा संस्थाको जिम्मेवार पदाधिकारीको हुनेछ।

**८. निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड, मार्गदर्शन बनाउन सक्नेः** (१) बजेट विनियोजनलाई प्रभावकारी बनाउन तथा यस ऐनको कार्यान्वयन गर्न नगर कार्यपालिकाले आवश्यक निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड र कार्यालयले मार्गदर्शन बनाई लागु गर्नसक्नेछ।

अनुसूची-१

(दफा २ सँग सम्बन्धित)

**आ. व. २०८२/८३ को आय व्यय विवरण**

| क्र. सं. | राजश्व संकेत | राजश्व शीर्षक | अनुमानित रु. |
|---|---|---|---|
| **१.** | | **आय** | **१,२२,५२,००,५०२।०४** |
| **१.१** | | **राजश्व** | **१७,१८,०१,५३५।४१** |
| **१.१.१** | **राजश्व संकेत** | **आन्तरिक श्रोत** | **६,३१,१२,१९७।५९** |
| १ | ११३१३ | सम्पत्ति कर | ३०,००,०००/- |
| २ | ११३१४ | भूमिकर/मालपोत | ६०,००,०००/- |
| ३ | ११३१७ | बहाल कर | ५०,००,०००/- |
| ४ | ११३१८ | बहाल विटौरी कर | २०,००,०००/- |
| ५ | ११४५१ | सवारी साधन कर (साना सवारी) | ५,००,०००/- |
| ६ | ११४७९ | अन्य मनोरञ्जन कर | १०,१२,१९७।५९ |
| ७ | ११६११ | व्यवसायले भुक्तानी गर्ने | १०,००,०००/- |
| ८ | ११६३१ | कृषितथा पशुजन्य वस्तुको व्यावसायिक कारोवारमा लाग्ने कर | १,००,०००/- |
| ९ | ११६९१ | अन्य कर | ६,००,०००/- |
| १० | १४१५१ | सरकारी सम्पत्तीको वहालबाट प्राप्त आय | ३,००,००,०००/- |
| ११ | १४२१८ | न्यायिक दस्तूर | ५०,०००/- |
| १२ | १४२२१ | शिक्षा क्षेत्रको आम्दानी | २,००,०००/- |
| १३ | १४२२३ | परीक्षा शुल्क | ५०,०००/- |
| १४ | १४२२९ | अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क | ५,००,०००/- |
| १५ | १४२४२ | पार्किङ्ग शुल्क | ३,००,०००/- |
| १६ | १४२४३ | नक्सापास दस्तुर | १०,००,०००/- |
| १७ | १४२४४ | सिफारिश दस्तुर | ३५,००,०००/- |
| १८ | १४२४५ | व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर | १०,००,०००/- |
| १९ | १४२४९ | नाता प्रमाणित दस्तुर | १०,००,०००/- |
| २० | १४२५३ | अन्य दस्तुर | १०,००,०००/- |
| २१ | १४२६२ | व्यवसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर | ५,००,०००/- |
| २२ | १४२६५ | अन्य क्षेत्रको आय | १०,००,०००/- |
| २३ | १४३१२ | प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत | १०,००,०००/- |
| २४ | १४६११ | व्यवसाय कर | १५,००,०००/- |
| २५ | | अन्य राजश्व | १४,००,०००/- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **१.१.२** | | **राजश्व बाडफाँडबाट प्राप्त आय** | **१३,०१,१३,७३३।०३** |
| | १३३१५ | घर जग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर | १,५०,१५,०००/- |
| | ११४११ | बाँडफाँड भई प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि कर | ८,३६,६४,१७३/- |
| | ११४२१ | बाँडफाँड भई प्राप्त हुने अन्तःशुल्क | २,७८,८८,०५८/- |
| | ११४५६ | बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने सवारी साधन कर | ३५,४६,५०२।०३ |
| **१.१.३** | | **अन्य आय** | **२,३७,०२,८०२।४१** |
| | ३२१२२ | बैंक मौज्दात | २,१२,०२,८०२।४१ |
| | १५१११ | बेरुजु | २५,००,०००/- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **१.२** | | **अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण** | |
| **१.२.१** | | **संघीय सरकार** | **७९,०२,००,०००/-** |
| १. | १३३११ | समानीकरण अनुदान | ११,६६,००,०००/- |
| २. | १३३१२ | शसर्त अनुदान चालु | २९,६८,००,०००/- |
| ३. | १३३१३ | शसर्त अनुदान पूँजीगत | ३६,८१,००,०००/- |
| ४. | १३३१७ | समपुरक अनुदान | ८७,००,०००/- |
| **१.२.२** | **प्रदेश सरकार** | | **८,३०,७२,०००/-** |
| १ | १३३११ | समानीकरण अनुदान | १,५४,४६,०००/- |
| २ | १३३१२ | शसर्त अनुदान चालु | १५,२६,०००/- |
| ३ | १३३१३ | शसर्त अनुदान पूँजीगत | ६,६१,००,०००/ |
| **१.२.३** | **सामाजिक सुरक्षा** | | **१३,५०,००,०००/-** |

| आय व्ययको क्षेत्रगत विनियोज | | रु. मा |
|---|---|---|
| **क्र.सं.** | **क्षेत्र/उप क्षेत्र** | **विनियोजन** |
| **१** | **आर्थिक विकास** | **२,७५,३०,०००/००** |
| १.१ | कृषि | ६४,००,०००/०० |
| १.२ | उद्योग | १४,००,०००/०० |
| १.३ | जलश्रोत तथा सिंचाई | १,७६,५०,०००/०० |
| १.४ | पशुपन्छी विकास | २०,८०,०००/०० |
| **२** | **सामाजिक विकास** | **९०,०५,९९,०००/००** |
| २.१ | शिक्षा | २५,९४,३५,०००/०० |
| २.२ | स्वास्थ्य | ५,६८,५१,०००/०० |
| २.३ | खानेपानी तथा सरसफाई | ४३,९६,१३,०००/०० |
| २.४ | लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण | २६,००,०००/०० |
| २.५ | सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण | १४,२१,००,०००/०० |
| **३** | **पूर्वाधार विकास** | **९,८०,६८,०००/००** |
| ३.१ | यातयात पूर्वाधार | ५,७०,४६,०००/०० |
| ३.२ | भवन, आवास तथा सहरी विकास | ३,२०,७७,०००/०० |
| ३.३ | सम्पदा पूर्वाधार | ८९,४५,०००/०० |
| **४** | **सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र** | **९,००,०००/००** |
| ४.१ | तथ्यांक प्रणाली | ५,००,०००/०० |
| ४.२ | गरिबी निवारण | ४,००,०००/०० |
| **५** | **कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक** | **१९,८१,०३,५०२/०४** |
| ५.१ | कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक | १९,८१,०३,५०२/०४ |
| | कुल जम्मा | १,२२,५२,००,५०२/०४ |

| आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को व्यय विवरण | | |
|---|---|---|
| | **चालु तर्फ** | **५२,८६,७४,५०२.०४** |
| सि नं | शीर्षक | विनियोजित बजेट |
| १ | २११११ पारिश्रमिक कर्मचारी | २७,६५,२१,०००.०० |
| २ | २११२१ पोशाक | २३,९६,०००.०० |
| ३ | २११३१ स्थानीय भत्ता | २१,००,०००.०० |
| ४ | २११३२ महंगी भत्ता | ३३,००,०००.०० |
| ५ | २११३४ कर्मचारीको बैठक भत्ता | २१,९०,०००.०० |
| ६ | २११३९ अन्य भत्ता | २,००,०००.०० |
| ७ | २११४१ पदाधिकारी बैठक भत्ता | ३९,९०,०००.०० |
| ८ | २११४२ पदाधिकारीअन्य सुबिधा | १,१९,०५,०००.०० |
| ९ | २१२१९ अन्य सामाजिक सुरक्षा खर्च | १०,०००.०० |
| १० | २२१११ पानी तथा बिजुली | २३,७५,०००.०० |
| ११ | २२११२ संचार महसुल | १९,९०,०००.०० |
| १२ | २२२१२ इन्धन (कार्यालय प्रयोजन) | १,०१,५०,०००.०० |
| १३ | २२२१३ सवारी साधन मर्मत खर्च | ६५,६१,२३१.०० |
| १४ | २२२१४ बिमा तथा नवीकरण खर्च | १५,००,०००.०० |
| १५ | २२२२१ मेशिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्च | २४,५०,०००.०० |
| १६ | २२३११ मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री | ७५,३५,०००.०० |
| १७ | २२३१३ पुस्तक तथा सामग्री खर्च | १,००,०००.०० |
| १८ | २२३१४ इन्धन - अन्य प्रयोजन | ८,७०,०००.०० |
| १९ | २२३१५ पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खर्च | ४८,५०,०००.०० |
| २० | २२४११ सेवा र परामर्श खर्च | ३०,००,०००.०० |
| २१ | २२४१३ करार सेवा शुल्क | २,९९,९६,०००.०० |
| २२ | २२५१२ सीप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठी सम्बन्धी खर्च | २०,०००.०० |
| २३ | २२५२१ उत्पादन सामग्री / सेवा खर्च | ३,००,०००.०० |
| २४ | २२५२२ कार्यक्रम खर्च | ९,८९,२७,२७१.०४ |
| २५ | २२६११ अनुगमन, मूल्यांकन खर्च | ३६,८०,०००.०० |
| २६ | २२६१२ भ्रमण खर्च | ३०,९०,०००.०० |

| | | |
|---|---|---|
| २७ | २२६१९ अन्य भ्रमण खर्च | ३,००,०००.०० |
| २८ | २२७११ विविध खर्च | ४९,१०,०००.०० |
| २९ | २२७२१ सभा सञ्चालन खर्च | १५,००,०००.०० |
| ३० | २५३११ शैक्षिक संस्थाहरूलाई सहायता | ३,२७,४७,०००.०० |
| ३१ | २५३१५ अन्य सस्था सहायता | ९५,०००.०० |
| ३२ | २६३३२ सशर्त अनुदान (चालु) | १,३५,०००.०० |
| ३३ | २७२१३ औषधीखरिद खर्च | ५६,८१,०००.०० |
| ३४ | २८१४१ जग्गाको भाडा | ३,००,०००.०० |
| ३५ | २८१४२ घरभाडा | १५,००,०००.०० |
| ३६ | २८१४३ सवारी साधन तथा मेशिनर औजार भाडा | १५,००,०००.०० |
| | **पूंजीगत** | **५६,१५,२६,०००.००** |
| ३७ | ३१११२ गैर आवासीय भवन निर्माण/खरिद | ६९,०२,०००.०० |
| ३८ | ३११२१ सवारी साधन | १०,००,०००.०० |
| ३९ | ३११२२ मेशिनरी तथा औजार | २१,००,०००.०० |
| ४० | ३११२३ फर्निचर तथा फिक्चर्स | ५६,९५,०००.०० |
| ४१ | ३११५१ सडक तथा पूल निर्माण | ४,९५,७५,०००.०० |
| ४२ | ३११५५ सिंचाई संरचना निर्माण | १,७८,००,०००.०० |
| ४३ | ३११५६ खानेपानी संरचना निर्माण | ३८,६९,६३,०००.०० |
| ४४ | ३११५८ सरसफाई संरचना निर्माण | ४,८५,००,०००.०० |
| ४५ | ३११५९ अन्य सार्वजनिक निर्माण | ४,२९,९१,०००.०० |
| | **सामाजिक सुरक्षा खर्च** | **१३,५०,०००००.०००** |
| | जम्मा | १,२२,५२,००,५०२.०४ |

आज्ञाले,

ओम प्रकाश देवकोटा

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत